

पत्रांक-जी0एस0टी0/ 2023-24/

325

/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक- 16, अगस्त, 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1,

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट/टैक्स ऑडिट),

समस्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-खनिज पदार्थों एवं खनन संबंधी सेवाओं में हो रहे करापवंचन के संबंध में।

कृपया अवगत हों कि खनिज पदार्थ एवं खनन संबंधी सेवाएं राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व में प्रभावी वैट व्यवस्था में खनिज पदार्थों पर करदेयता निर्धारित की गयी थी। जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात खनिज पदार्थों के साथ-साथ खनन संबंधी सेवाओं पर भी विभाग को एस0जी0एस0टी0 के मद में कर की प्राप्ति होती है। वर्तमान परिस्थितियों में खनिज पदार्थ एवं खनन संबंधी सेवाएं राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

2. खनन संबंधी अधिकारों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली रायल्टी पर जी0एस0टी0 की देयता का प्रश्न विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विवाद का बिन्दु रहा है। रायल्टी पर जी0एस0टी0 की देयता के संबंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैं-

2.1. भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची की प्रविष्टि सं0 50 राज्यों को संघ सूची की प्रविष्टि सं 54 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गयी किसी विधि के अधीन खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है।

2.2. उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 अधिनियमित किया गया है जिसकी धारा 9(1) एवं 9(2) सरकार को खनिजों के खनन पर रायल्टी लगाने का अधिकार प्रदान करती है। संबंधित धारा निम्नवत है-

9. Royalties in respect of mining leases.—(1) The holder of a mining lease granted before the commencement of this Act shall, notwithstanding anything contained in the instrument of lease or in any law in force at such commencement, pay royalty in respect of any 1 [mineral removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee] from the leased area after such commencement, at the rate for the time being specified in the Second Schedule in respect of that mineral.

(2) The holder of a mining lease granted on or after the commencement of this Act shall pay royalty in respect of any 1 [mineral removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee] from the leased area at the rate for the time being specified in the Second Schedule in respect of that mineral.

2.3. मा० न्यायालयों के समक्ष योजित वादों में विवाद का प्रमुख बिन्दु यह है कि रायल्टी स्वयं में एक कर है और किसी कर पर पुनः कर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

2.4. **State of West Bengal v Kesoram Industries & Ors [AIR 2005 SC 1646] (5 Judges)** के वाद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत अभिमत दिया गया है- "The honorable Supreme Court disagreed with the decision of India Cement Ltd (7 judges) that royalty is a tax and took the view that there was an error in drafting the said judgment either attributable to stenographer's devil or to sheer inadvertence. This court opined that **majority wished to say and in fact said is 'cess on royalty is a tax' but not 'royalty is a tax'**".

2.5. **Mineral Area Development Authority etc vs. Union of India & Ors, (CIVIL APPEAL NOS. 4056-4064 OF 1999)** के वाद में रायल्टी के कर होने अथवा कर न होने का बिंदु मा० सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय खंड पीठ को संदर्भित किया गया है जो अभी लंबित है।

2.6. सरकार द्वारा खनिज अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार सौंपना सेवा की आपूर्ति है तथा निकाले गए खनिजों के लिए रायल्टी का भुगतान इन सेवाओं के लिये प्रतिफल (consideration) है अतः यह जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य है।

2.7. अधिसूचना 13/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.17 के क्रम संख्या 5क के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने के अधिकार के माध्यम से दी गयी लीजिंग सेवाओं के संबंध में एक व्यावसायिक संस्था को आपूर्ति की गई सेवाएं Reverse Charge Mechanism (RCM) के अंतर्गत कर योग्य हैं, क्योंकि यह सेवा इस अधिसूचना के क्रम सं० 5क में उल्लिखित किसी भी बहिष्करण द्वारा आच्छादित नहीं है।

2.8. खनन पट्टों(लीज) के माध्यम से दी जा रही सेवायें SAC 997337-*"Licensing service for right to use minerals including its exploration and evaluation"* के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

2.9. आलोच्य सेवा न तो अनुसूची III में उल्लिखित है और न ही समय-समय पर संशोधित करमुक्त सूची की अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 से ही आच्छादित है, अतः यह सेवा जी०एस०टी० के अंतर्गत करयोग्य है।

2.10. यह सेवा अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टि सं० 17 से आच्छादित है, तथा जी०एस०टी० के अंतर्गत 18% की दर से कर योग्य है।

2.11. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान निम्नवत हैं-

15. Value of taxable supply -

(1) The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.

(2) The value of supply shall include,-

(a) any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 12 of 2017) and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (Act No. 15 of 2017), if charged separately by the supplier;

2.12. उपरोक्त से स्पष्ट है कि जी०एस०टी० व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कर जो किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत उद्बहणीय हैं में जमा की गयी राशि value of supply में शामिल होगी तथा माल अथवा सेवा के करयोग्य होने की दशा में यह राशि माल अथवा सेवा के मूल्य के साथ सम्मिलित रूप से जी०एस०टी० के अंतर्गत कर-योग्य होगी।


2.13. चूंकि रायल्टी का उद्बहण MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 के अंतर्गत किया जाता है। यदि रायल्टी कर भी है तो भी इस शीर्षक के अंतर्गत उद्बहणीय राशि जी०एस०टी० के अंतर्गत कर-योग्य होगी।

3. खनिज पदार्थों के खनन एवं अग्रतर अन्य उत्पादों के निर्माण में करापवंचन रोकने की दृष्टि से उठाए जाने योग्य प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं-

- i. खनिज पदार्थों के परिवहन के दौरान सचल दल इकाईयों द्वारा इनके अधिकाधिक बिल एकत्र किये जायें और उन बिलों को सत्यापन हेतु संबंधित खण्डों में यथाशीघ्र प्रेषित किया जाये।
- ii. Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 के नियमों के अन्तर्गत Pits mouth value के आधार पर अनुमानित रायल्टी की गणना तथा उक्त आधार पर संभावित खनिज उत्पादन की राशि का परिकलन कर लेना चाहिए।
- iii. खनिज पदार्थों के Under valuation के माध्यम से करापवंचन किया जाना पूर्व प्रचलित तरीका रहा है। इन उत्पादों के मूल्यांकन हेतु कार्यदायी संस्थाओं की मूल्य सूची के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- iv. मूल्यांकन हेतु खनन स्थल से प्राप्तकर्ता (Recipient) के व्यापार स्थल की दूरी के आंकलन के आधार भाड़े की गणना करते हुए आपूर्तिक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये।
- v. खनिज पदार्थों के संबंध में Raw Material यथा Bolder आदि की जाँच की जानी चाहिए।
- vi. खनन में प्रयुक्त मशीनरी के किराये आदि के होने के तथ्यों का परीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- vii. खनन संबंधी गतिविधियों में लगने वाले ऊर्जा की खपत यथा जेनसेट तथा मशीनरी आदि में डीजल की खपत तथा विद्युत की खपत का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

- viii. सामान्यतया खनन उत्पादों के परिवहन हेतु अनुबन्धित वाहनों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इन सेवाओं की Supply GTA के द्वारा दिखाते हुए वास्तविक दर से कम कर का भुगतान किया जाता है। अतः वाहनों से संबंधित भुगतान एवं इन सेवाओं का परीक्षण सावधानी से किया जाना चाहिए।
- ix. खनन सेवाओं हेतु देय रायल्टी पर RCM के आधार पर करदेयता है। CGST / UPGST अधिनियम की धारा 24 की उपधारा iii के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी RCM के आधार पर करदेयता बनती है, उनके द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीयन लिया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः खनन कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्ति जिनके द्वारा सरकार से खनन पट्टे प्राप्त किये गये हैं, उनका जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- x. विभिन्न जनपदों में तैनात विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी तैनाती के जनपद के जिला खनन अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए खनन पट्टे की सूचना प्राप्त कर लिया जाये तथा खननकर्ता व्यापारी के पंजीयन एवं कर निर्धारण संबंधी कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।


16/8/23
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।